3 10/23

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 27.09.2023 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पर निवेदन किया कि वादीगण/अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 ए, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर कथन किया कि ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ स्थित आराजी खसरा नम्बर 2552/326 रकबा 1.6180 है0 वर्तमान जमाबंदी में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बजरंग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजी पर पूर्व में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पिता/दादा भींवा का कब्जा काश्त था जबकि भूमि बिलानाम सरकर दर्ज थी तथा बाद में भींवा ने सभी पुत्रों की सहमति से बजरंग जो परिवार का कर्ता–धर्ता था सारी सम्पति मकान भूमि से सम्बन्धित व परिवार से सम्बन्धित सारे लेन देन बजरंग करता था और सभी की सहमति से भींवा को सभी पुत्रों का उक्त आराजी में बराबर हिस्सा मानते हुए उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बजरंग के नाम अलोट करा दी और बजरंग के अलोट होने के बाद उक्त आराजी में भींवा के सभी पुत्रों का उपयोग–उपभोग कब्जा काश्त बहिस्सा बराबर–बराबर रहा और उसी आराजी से भींवा को सभी पुत्रों का व परिवार का भरण पोषण करता होता रहा है,इसके बावजूद भी परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी के अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का आदेश पारित किये बिना ही केवल मात्र विपक्षी/रेस्पोडेन्टस के सम्मन जारी करने के आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। प्राथीगण विवादित भूमि के 1/5 हिस्से पर काबिज होकर काश्त चले आ रहे है। यदि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 की पालना को स्थगित नहीं फरमायी गयी तो अप्रार्थीगण को आराजी मुतनाजा से बेदखल कर वादग्रस्त आराजी को रहन, बय एवं मुन्तकिल कर देंगें, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 की पालना एवं प्रभाव ताफैसला अपील स्थगित फरमायी जाकर वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांटगण विवादित भूमि के 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त होकर चले आ रहे है। यदि अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.9.2023 की पालना को स्थगित नहीं किया तो रेस्पोडेंट उन्हें विवादित भूमि से बेदखल कर भूमि को खुर्द बुर्द कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन भी अपने पक्ष में बताया, तथा निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयत के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा अवगत करवाया कि उनके द्वारा धारा 88, 188, 92ए आरटी एक्ट के तहत वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी न्यायालय किशनगढ के समक्ष वादपत्र दायर किया हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 1 बजरंग द्वारा भाई है भीवा पुत्र लादू हमारे पूर्वज थे। विवादित भूमि खसरा नम्बर 2552/326 है जिसका रकबा 1.6180 हैक्टर है तथा विवादित भूमि ग्राम बंदरसिंदरी में स्थित है। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा यह बताया गया कि बजरंग भीवा का सबसे बडा

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

लगातार पुत्र होने से एवं संयुक्त परिवार होने से परिवार की सारी भूमियां बजरंग और भीमा के भाई रामचंद्र के नाम दर्ज हो गई कुल भूमि 32 बीघा है 16 बीघा बजरंग की होती है। बजरंग द्वारा सभी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु सभी के पक्ष में रजिस्ट्री भी की गई थी। विवादित भूमि पर संयुक्त कब्जा है। विवादित भूमि दिनांक 13.2.1996 को आवंटन से बजरंग के नाम दर्ज हुई थी। अब बजरंग के मन में खोट आ गया है बजरंग ने अपने पुत्रों के नाम बक्शीशनामा लिखे है। वह हमें भूमि से बेदखल कर देंगे उपखण्ड अधिकारी द्वारा हमारे 212 के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस हेतु न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कि गई है।

बहस बिंदुओ पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश प्रोसिडिंग प्रकरण संख्या 215/2023 का अवलोकन किया गया। प्रोसिडिंग दिनांक 19.9.2023 के अनुसार **"वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया वकील वादीगण को सुना गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी के लिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 12.10.2023 को पेश हो"**

स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के वकील को सुनने के बाद भी प्रकरण में कोई आदेश जारी नहीं किया गया जबकि वह आदेश जारी कर सकते थे। बहस के अनुसार विवादित भूमि पर अपीलांटगण का भी कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में वाद भूमि की रक्षा करने हेतु न्यायालय हाजा यह उचित समझता है कि विवादित भूमि बाबत यथास्थिति बनाई रखी जाए। पेशी दिनांक 12.10.2023 पर उपखण्ड अधिकारी किशनगढ आवश्यक रूप से दोनों पक्षों की बहस सुनकर 212 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय करे।

3.10.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner